

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 39/2020 सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

सा.का.नि (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड (एतदपश्चात विषयगत देश सं संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "पोलिएस्टर के सभी फुल्ली ड्रान या फुल्ली ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रा यार्न/फ्लैट यार्न" (एतदपश्चात विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 54 के अंतर्गत आता है, पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 जिसे सा.का.नि 804 (अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड- 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/9/2020- डीजीटीआर, दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था और उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने विषयगत देश में उत्पादित और निर्यात होने वाले विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को सम्मिलित रूप से 30 नवम्बर, 2020 तक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/2020 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 से आगे बढ़ाया गया था, जिसे सा.का.नि 649 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 के तहत भारत में राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि नामित प्राधिकरण द्वारा विषयगत देश में उत्पादित और निर्यात होने वाले विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाये जाने का अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमवाली के नियम 23 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2015- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 जिसे सा.का.नि 804 (अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतस्थापित किया जाएगा, यथा:-

उक्त अधिनियम में, पैराग्राफ 3 में, अंकों और शब्दों "30 नवम्बर 2020" के लिए अंकों और शब्दों "31 दिसम्बर 2020" को प्रतिस्थापित किया गया है।

[मि.स.354/29/2009- टीआरयू (Pt II)]

(गौरव सिंह)

उपसचिव भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 51/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 को सा.का.नि 804 (अ) दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. 32/2020- सीमाशुल्क (एडीडी), 19 अक्टूबर, 2020 जिसे सा.का.नि. 649 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था ।